झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा — षष्ठम् (मॉनसून) सत्र

संख्या-05 — गुरुवार, दिनांक-09 सितम्बर, 2021 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 5.55 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. विविध चर्चायें:-

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः माननीय सदस्य काला अंगोछा धारण कर अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये तथा माननीय सदस्य, सर्वश्री बिरंची नारायण, भानू प्रताप शाही, अमर कुमार बाउरी, केदार हजरा एवं डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने आसन का ध्यान दिनांक-08.09.2021 को राजधानी रॉची में पुलिस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर किये गये लाठीचार्ज विषयक प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट करने लगे तथा उनके द्वारा लाये गये स्थगन प्रस्ताव की सूचना को पढ़ने की माँग करने लगे। आसन द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि वह झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम के आलोक में ही पढ़ा जायेगा, परन्तु वे अपनी माँगों पर अड़े रहे एवं माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा नियमावली पढ़ी जाने लगी तत्पश्चात् वे शनैः-शनैः सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे आसन द्वारा गहरी नाराजगी अभिव्यक्त की गयी,

ii- प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा किये जा रहे व्यवहार के प्रतिरोध में सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, श्री सुदिव्य कुमार भी सदन की वेल में आ गये, परन्तु आसन द्वारा कहे जाने पर वे पुनः अपने स्थान पर चले गये।

2.प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-26

(क) उत्तरित मात्र-01, अ० सू०-78, डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स०।

(ख) अनागत कुल-25, अ० सू०-79 से अ०सू०-103 तक।

इस क्रम में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य पूर्ववत् सदन की वेल में नारेबाजी करते रहे जिसपर माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री आलमगीर आलम ने आपत्ति जताते हुए आसन से अनुरोध किया कि इनके द्वारा आसन के प्रति अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, अतएव इनके विरूद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर आसन द्वारा पुनः नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि सदन में विभिन्न दलों के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन एक दल विशेष द्वारा इस प्रकार सदन को बाधित किया जाना अनुचित है। अतः अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.21 बजे पूर्वा० से लेकर 12.45 बजे अप० तक के लिए स्थगित कर दी गयी जिसके कारण शेष प्रश्न नहीं लिये जा सके।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

3.सूचनाओं का दिया जाना:-

i- माननीय सदस्य, श्री कमलेश कुमार सिंह ने आसन का ध्यानाकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 20 कि.मी. ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति दी जाती है जिसकी सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई जबकि पंचायत चुनाव होनेवाला है जिसपर

माननीय ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम ने अद्यतन स्थिति से आसन के माध्यम से सदन को अवगत कराया,

ii- माननीय सदस्य, श्री स्टीफेन मराण्डी ने बढ़ती हुई महँगाई के इस दौर में विधायक कोटा की राशि 08 करोड़ रुपये किये जाने हेतु आसन से अनुरोध किया जिसका समर्थन प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही ने भी किया,

iii- माननीय सदस्य, डॉ० सरफराज अहमद ने आसन का ध्यानाकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि पिछले कई दिनों से झारखण्ड विधान सभा में नमाज पढ़ने हेतु कमरे का आवंटन सभा सचिवालय के कर्मियों द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में हुआ है जिसपर प्रतिपक्ष को ऐतराज है। अतएव इसपर एक समिति बना दी जाय जो एक समय-सीमा के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तदनुसार आसन द्वारा निर्णय ले लिया जाय। उन्होंने आसन के माध्यम से यह भी संसूचित किया कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, श्री बाबूलाल मराण्डी तथा पूर्व विधान सभा अध्यक्ष, श्री इन्दरसिंह नामधारी के कार्यकाल में भी यह व्यवस्था पुराने विधान सभा में थी जिसका माननीय, श्री बाबूलाल मराण्डी द्वारा खण्डन किया गया.

iv- माननीय सदस्य, श्री बंधु तिर्की द्वारा माननीय सदस्य, डॉ० सरफराज अहमद का समर्थन किया गया।

4.शून्यकाल की सूचनायें:-

आज के लिए निर्धारित शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए उन्हें सम्बन्धित विभागों में लिखित उत्तर के लिए भेजे जाने का निदेश आसन द्वारा दिया गया।

5.आसन से नियमन:-

सभा सचिवालय में ''नमाज पढ़ने हेतु कमरा'' के आवंटन पर उठे विवाद के सम्बन्ध में माननीय सदस्य, डॉ० सरफराज अहमद के अनुरोध एवं सदन की भावना को देखते हुए आज की द्वितीय पाली में एक समिति गठित किये जाने हेतु आसन से नियमन दिया गया।

6.सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री दीपक बिरूवा द्वारा प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (2020-21) सभा नियम-216(1) के तहत सदन पटल पर रखा गया।

इस क्रम में कतिपय माननीय सदस्यों ने पुनः विधायक मद की राशि बढ़ाये जाने हेतु अनुरोध किया जिसे आसन द्वारा संज्ञान में लिया गया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

i- माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अपने द्वारा दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को पढ़े जाने हेतु आसन से अनुरोध करने लगे और सदन की वेल में आकर नारेबाजी करने लगे,

ii- माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह ने सारंडा-नोआमुंडी में लोगों को राशन लेने हेतु 25-30 कि.मी. पहाड़ से नीचे उतरकर जाना पड़ता है, अतएव आसन के माध्यम से उन्होंने अनुरोध किया कि इनके लिए **Door steps** राशन की व्यवस्था करायी जाय,

iii- माननीय सदस्य, श्री लोबिन हेम्ब्रम ने अलग झारखण्ड राज्य के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, उन्हें सम्मानित किये जाने हेतु आसन से अनुरोध किया,

iv- माननीय सदस्य, डॉ० लम्बोदर महतो ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया कि माननीय पूर्व सदस्य, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता अपनी माँगों को लेकर बाहर में धरने पर बैठे है, अतएव उन्हें धरना से उठाने की व्यवस्था की जाय, इसपर माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण एवं श्री लोबिन हेम्ब्रम को श्री मेहता को धरना स्थल से उठाने हेतु निदेश दिया गया तत्पश्चात् माननीय सदस्यद्वय सदन से बाहर गये,

v- माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने अनुरोधपूर्वक कहा कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा काला पट्टा क्यों धारण किया गया है, आसन द्वारा जानकारी ली जानी चाहिए।

7.विधायी कार्य:-

क. झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-65, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक-2021"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा इसे प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

ख. झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-06, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक-2021"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

ग.झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक-2021"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(इस क्रम में प्रतिपक्ष के कतिपय माननीय सदस्य सदन की वेल में धरने पर बैठ गये।)

घ. झारखण्ड वित्त विधेयक-2021

माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, श्री हफिजुल हसन अंसारी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-03, अनुसूची, खण्ड-01, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **"झारखण्ड वित्त विधेयक-2021"** सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

8.आसन से घोषण:-

झारखण्ड विधान सभा में "नमाज के लिए आवंटित कमरा" के कारण उत्पन्न गतिरोध के शमन हेतु एक सर्वदलीय समिति बनाये जाने हेतु आसन से घोषणा की गयी जिसमें-

श्री स्टीफेन मराण्डी,	स०वि०स०	संयोजक,
श्री प्रदीप यादव,	स०वि०स०	सदस्य,
श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा,	स०वि०स०	सदस्य,
डॉ० सरफराज अहमद,	स०वि०स०	सदस्य,
श्री विनोद कुमार सिंह,	स०वि०स०	सदस्य,
डॉ लम्बोदर महतो,	स०वि०स०	सदस्य एवं
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	स०वि०स०	सदस्य होंगे। समिति 45 दिनों के अन्दर जल्द से जल्द अपना प्रतिवेदन देगी जिसपर आसन सहमत हो सकेगा।

9.गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें:-

(इस अवसर पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाउरी एवं श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह सहित कई माननीय सदस्यों ने सदन का परित्याग किया)

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के षष्ठम् (मॉनसून) सत्र में निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा गैर-सरकारी संकल्प की सूचनायें पढ़ी गयी जो सरकारी उत्तर के पश्चात् वापस ली गयी:-

क्र०सं०	माननीय सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	स्थिति
01	श्री अमित कुमार यादव माननीय सदस्य, श्री मनीष जायसवाल(अधिकृत) द्वारा पूछा गया।	हजारीबाग जिला के बरही में अनुमण्डल न्यायिक न्यायालय का गठन,	वापस
02	श्री मथुरा प्रसाद महतो	हाई स्कूल को +2 विद्यालय में अपग्रेड करना,	वापस
03	श्री सुदिव्य कुमार	जाति प्रमाण-पत्र बनाने हेतु प्रखण्ड स्तर पर सेल का गठन करना,	वापस
04	श्री अनन्त कुमार ओझा	साहेबगंज जिला में लॉ-कॉलेज की स्थापना,	वापस
05	श्री प्रदीप यादव	जाति आधारित जनगणना कराना,	वापस
06	श्री नारायण दास	देवघर, एम्स में अनुसूचित जनजाति वार्ड की स्थापना,	वापस
07	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	सरकार के आश्वासन के अनुरूप कोयल नदी पर पुल का निर्माण करना,	वापस

08	प्रो० स्टीफन मराण्डी	पूर्व से स्वीकृत पावर ग्रिड स्टेशन का निर्माण यथाशीघ्र पूर्ण कराना,	वापस
09	सुश्री अम्बा प्रसाद	रामगढ़ जिला अन्तर्गत पतरातु प्रखण्ड को अनुमण्डल बनाना,	वापस
10	श्री रामचन्द्र सिंह	लातेहार जिलान्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति देना,	वापस
11	श्री मनीष जायसवाल	दाखिल-खारिज एवं लगान रसीद निर्गत करने में व्याप्त वर्त्तमान त्रुटि का समाधान करना,	वापस
12	डॉ० लम्बोदर महतो	बोकारो जिला में तीन प्रखण्डों का सृजन करना,	वापस
13	श्री समीर कुमार मोहन्ती	बाईपास सड़क का निर्माण कराना,	वापस
14	श्री भानू प्रताप शाही	गढ़वा जिलान्तर्गत बंशीधर नगर अनुमण्डल स्तरीय सिविल कोर्ट को चालू करना,	वापस
15	श्री भूषण बाड़ा	रेलवे लाईन का विस्तारीकरण,	वापस
16	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	भूमि के एवज में भू-स्वामी को राशि का भुगतान करना,	अनुपस्थित
17	श्री उमाशंकर अकेला	बराकर नदी मे चितहरवा घाट पर पुल का निर्माण करना,	वापस
18	श्री राज सिन्हा	धनबाद, गिरिडीह और बोकारो जिला को जोड़कर कोयलांचल प्रमण्डल बनाना,	वापस
19	डॉ० इरफान अंसारी	जामताड़ा जिला में आदिवासी आवासीय बालिका उच्च विद्यालय खोलना,	वापस
20	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता	चतरा को डालटनगंज भाया पांकी होते हुए रेल गया तक रेल लाईन से जोड़ना,	वापस
21	श्री किशुन कुमार दास	चतरा जिलान्तर्गत ईटखोरी स्थित माँ भद्रकाली मन्दिर परिसर को बौद्ध सर्किट के रूप में विकसित करना,	वापस
22	श्री ढुलू महतो	हाई पावर कमेटी का गठन कर विस्थापन के सभी मामलों का एक समय-सीमा के अन्दर समाधान करना,	वापस
23	श्री केदार हजरा	गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ तथा देवरी प्रखण्ड को काटकर हिरोडीह तथा नवडीहा को प्रखण्ड बनाना,	वापस
24	श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	धनबाद के निरसा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम-पोद्दारडीह स्थित तालाब का गहरीकरण, जीर्णोद्धार, घाट का निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण कराना,	वापस
25	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	कुड़मी/कुरमी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना,	वापस
26	श्री नलिन सोरेन	गार्डवाल का निर्माण कराना,	वापस
27	श्री बंधु तिर्की	चेक डैम सहित गार्डवाल के अविलम्ब निर्माण कराना,	वापस
28	श्री श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	संथाल परगना के मान्यता समाप्त किये गये सभी स्कूलों की मान्यता प्रदान करना,	वापस

29	श्री बिरंची नारायण	मरीजों और डॉक्टरों-अस्पताल प्रबंधन के हित में एक समुचित मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना	वापस
30	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	घनबाद जिला के झरिया में मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराना,	वापस
31	श्री विनोद कुमार सिंह	गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखण्ड में भरकट्ठा एवं सरिया प्रखण्ड में चिचाकी को नये प्रखण्ड का दर्जा दिया जाना,	वापस
32	श्री कमलेश कुमार सिंह	पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज की स्थापना करना।	वापस

i- इस क्रम में माननीय सदस्य, श्री मथुरा प्रसाद महतो ने आसन की अनुमति से माननीय सदस्यों को देय अनुमान्य सुविधा के तहत उपस्कर की सुविधा मुख्य सचेतक,सता पक्ष,विपक्ष, उप मुख्य सचेतक एवं सचेतकगण के लिये भी उपस्कर की सुविधा अनुमान्य कराने के लिये एक समिति बनाये जाने हेतु अनुरोध किया जिसे आसन द्वारा संज्ञान में लेते हुए इसके लिये समिति बनाये जाने हेतु आश्वास्त किया गया,

ii- माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने माननीय सदस्य, श्री अमर कुमार बाऊरी का वायरल हो रहे आक्षेपयुक्त Video के सम्बन्ध में आसन का ध्यानाकृष्ट करते हुए उनकी सहनशीलता को सराहनीय है, इसके लिए उन्हें बधाई एवं साधुवाद।

(इस अवसर पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

इसके पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदन नेता एवं मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन ने विस्तार से सरकार की उपलब्धियों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया तथा प्रतिपक्ष की इस सत्र के दौरान निभायी गयी भूमिका के सम्बन्ध में भी चर्चायें की।

10.समापन भाषण:-

पंचम् झारखण्ड विधान सभा के पंचम् (बजट) सत्र की समाप्ति पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस सत्र के दौरान हुई कुल-05 बैठकों, राज्यपाल महोदय द्वारा प्राख्यापित अध्यादेश की प्रति एवं गत सत्र मे सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखे जाने के अतिरिक्त सत्र के दौरान पूछे गये प्रश्नों, ध्यानाकर्षणों, निवेदनों, शून्यकाल के अतिरिक्त पारित कुल-08 विधेयकों तथा उपस्थापित विभिन्न प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में भी विस्तार से सदन को जानकारी दी। इसके उपरांत उन्होंने अपना उद्गार व्यक्त किया-

"मै सभा के कार्य संचालन मे सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, झारखण्ड सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों, प्रेस प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित आरक्षी बल के जवानों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने लगन, निष्ठा के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया है।

माननीय सदस्यगण, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका का स्थान अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण है। यह पवित्र स्थल अंतिम सम्प्रभू झारखण्ड के साढ़े तीन करोड़ लोगों के प्रति पूरी सरकारी मशीनरी को उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनाने का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम है। पूरे वर्ष मे सीमित समय के लिए हम यहाँ बैठते है और आपके प्रश्नों एवं सूचनाओं के माध्यम से सरकारी व्यवस्थाओं को अपने कर्त्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाने में अपनी भूमिका निभाते है, परन्तु सदन में अनावश्यक व्यवधान से इस पुनीत कर्त्तव्य का पालन होता हुआ मुझे नहीं दिखता। माननीय सदस्यगण, पक्ष और विपक्ष सदन में अपनी-अपनी भूमिका निभाते है। लोकतंत्र में शासन पक्ष के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन

विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। वाद-विवाद, विरोध-प्रतिरोध लोकतंत्र के अलंकार है, परन्तु व्यवधान की उष्मा से जनहित के मुद्दे दिशाहीन हो जाते है।

मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि झारखण्ड विधान सभा के आगामी सत्रों में आप सभी माननीय सदस्यगण अपनी सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी निभायेंगे और पक्ष एवं विपक्ष दोनों का सहयोग मुझे प्राप्त होगा।

माननीय सदस्यगण, आप सभी को पुनः मै धन्यवाद देता हूँ तथा आनेवाले पर्व त्योहारों गणेश चतुर्थी, करमा तथा शारदीय नवरात्र की अग्रिम बधाई देता हूँ।''

इसके उपरांत सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गयी।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 09, सितम्बर, 2021ई०।